दैनिक न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री प्रेस क्लब रायपुर के नववर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब पहुंचे और नववर्ष मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर 'श्रेष्ठ प्रदेश' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पत्र का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, वरिष्ठ पत्रकार रमेश नैय्यर, कौशल किशोर मिश्रा, शंकर पाण्डेय, रमेश शर्मा, पन्नालाल और त्रिराज साहू, प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष सुश्री शगुफ्ता सिरीन, कार्यकारणी सदस्य संजय शुक्ला, मनोज नायक, जावेदखान सहित पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे।

आई.पी.एस. एसोशिएसन का वार्षिक चुनाव सम्पन्न श्री अशोक जुनेजा ए.डी.जी.पी. अध्यक्ष बने

रायपुर। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आयोजित आई.पी.एस. कॉन्क्लेव में प्रति वर्ष के अनुसार आज आई.पी.एस. एसोशिएसन का वार्षिक चुनाव सम्पन्न हुआ। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशासन श्री अशोक जुनेजा आई.पी.एस. एसोशिएसन के अध्यक्ष और पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज श्री प्रदीप गुप्ता को उपाध्यक्ष बनाया गया है। उप पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव श्री रतन लाल डांगी सचिव तथा सह सचिव डॉ. संजीव शुक्ला उप पुलिस महानिरीक्षक कांकेर, श्री आरिफ शेख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर, श्रीमती नीतू कमल पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार तथा कोषाध्यक्ष पुलिस अधीक्षक एस.टी. एफ बघेरा दुर्ग श्री डी श्रवण होंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव का सरगुजा प्रवास

रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव सरगुजा प्रवास पर जाएंगे। वे 6 जनवरी को सवेरे 08.20 बजे दुर्ग-अंबिकापुर एक्सप्रेस द्वारा रायपुर से अंबिकापुर पहुंचेंगे।

राजस्व मंत्री का दौरा कार्यक्रम

रायपुर (आरएनएस)। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुर्नवास, वाणिज्यक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) जयसिंह अग्रवाल आज 6 जनवरी को कोरबा से प्रातः 7 बजे कार से सक्ती के लिए रवाना होंगे और वहां पर स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019 सरपंच पद हेतु 31 हजार 183 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन दाखिल

रायपुर। राज्य निवार्चन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद से 4 जनवरी तक भरे गए नामांकनों की सूची जारी कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 27 जिलों में अब तक सरपंच पद के लिए 31 हजार 183, पंच के लिए एक लाख 95 हजार 686, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 6 हजार 842 एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए एक हजार 138 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है।

केरल घुमने गए रोड कान्ट्रेक्टर के सूने मकान से चोरों ने उड़ाए लाखों के जेवर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के कचना स्थित सिटी ऑफ ड्रीम सोसाइटी में होटल क्लार्क इन के मालिक और रोड कॉन्ट्रेक्टर अभिषेक अग्रवाल के सुने मकान पर धावा बोलकर चोरों ने नगदी समेत 5 लाख के जेवर पार कर दिये। अभिषेक अग्रवाल परिवार समेत केरल घूमने गए थे। मिली जानकारी के अनुसार खम्हारडीह थाना इलाके के कचना स्थित सिटी ऑफ ड्रीम कॉलोनी के होटल व्यवसायी एवं रोड कांट्रेक्टर अभिषेक अग्रवाल नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपने घर पर ताला लगाकर केरल घूमने गए हुए थे। रविवार को उनके पड़ोसी ने उन्हें फोन कर बताया कि उनके घर का ग्रिल बाहर से टूटा हुआ है। सूचना मिलने पर अभिषेक अग्रवाल ने अपने भाई को इसकी जानकारी दी और अभिषेक के भाई ने घर जाकर देखा तो घर का ताला टूटा हुआ था।

कलेक्टर की अध्यक्षता में महापौर, स्पीकर और अपील समिति के सदस्यों का निर्वाचन आज

रायपुर(आरएनएस)। नगरीय निकायों के निर्वाचन के बाद आज नगर पालिक निगम कार्यालय रायपुर में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. भारतीदासन की अध्यक्षता में नगर पालिका निगम के प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निगम आयुक्त शिव अनंत तायल ने इसके लिए सभी निर्वाचित पार्षदों को उपस्थित होने के लिए सूचित किया है तथा निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में सूचना दी है।

» आज रायपुर निगम का प्रथम सम्मेलन आयोजित

कार्यक्रमानुसार सबसे पहले सुबह 10.30 बजे से पीठासीन अधिकारी के रूप में कलेक्टर पार्षदगणों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 12.30 बजे से महापौर, स्पीकर एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्रवाई की जाएगी। दोपहर 12:30 बजे महापौर, स्पीकर पद हेतु आरक्षण की सूचना का प्रकाशन, कर निर्वाचन की जानकारी दी जाएगी।

इसके तत्काल बाद महापौर पद हेतु नाम निर्देशन पत्र दोपहर 12.30 से 1.30 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा कर सही पाए गए नाम निर्देशित अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाशक दोपहर 1.30 बजे किया जाएगा। अभ्यर्थितता दो बजे तक वापस ली जा सकेगी। आवश्यक होने पर मतदान दोपहर 2.30 बजे से 3.30 बजे तक किया जाएगा। इसके उपरांत परिणाम की घोषणा की जाएगी।

इसी तरह अध्यक्ष (स्पीकर) पद हेतु नाम निर्देशन पत्र अपरान्ह 4 बजे से 4.30 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाशन 4.30 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थी अपरान्ह 4.45 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके पश्चात आवश्यक होने पर अपरान्ह 5.00 बजे से 6.00 बजे तक मतदान किया जाएगा और 6.00 बजे से मतगणना कर परिणाम की घोषणा की जाएगी।

अपील सदस्यों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र अपरान्ह 4 बजे से 4.30 बजे तक प्राप्त किए जाएगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के उपरांत नाम का प्रकाशन 4.30 बजे से किया जाएगा। अभ्यर्थी अपरान्ह 4.45 बजे तक नाम वापस ले सकते हैं। इसके पश्चात आवश्यक होने पर अपरान्ह 5.00 बजे से 6.00 बजे तक मतदान किया जाएगा और मतदान के पश्चात तथा स्पीकर पद की मतगणना की समाप्ति के उपरांत मतगणना की जाएगी। इसके उपरांत परिणाम की घोषणा की जाएगी।

अवैध कोयला परिवहन की जांच दौरान 2 ट्रेलर के चालक वाहन छोड़ भागे, पूंजीपथरा पुलिस ने जप्त किए वाहन

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर कोयले के अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही जारी है। दिनांक 05.01.2020 को सुबह पूंजीपथरा टी.आई. अमित सिंह प्रतिदिन की भांति तराईमाल-गेरवानी मुख्य मार्ग पर वाहनों के जांच कर कागजात देखे जा रहे थे । तभी 2 ट्रेलर वाहन सीजी 15 ए.सी.- 5001 तथा ओ.डी. 15 जी - 1549 के चालक पुलिस की जांच देख ट्रेलर वाहन को सड़क किनारे खड़ी कर भाग गए । वाहनों को पूंजीपथरा पुलिस द्वारा जप्त कर कांटाघर में वजन कराकर धारा 102 सीआरपीसी के तहत वाहनों को जप्त किया गया है । वाहन मालिक का पता लगाया जा रहा है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल - बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर (आरएनएस)। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त पर निष्पक्ष चुनाव कराने में असफल रहने का आरोप लगाया।

उन्होंने सरकार पर चुनाव में खरीद फरोख्त कर पूरी चुनाव की प्रक्रिया को दूषित करने की बात कही। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकार के दबाव में काम कर रही है और हमें निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक बृजमोहन अग्रवान ने कहा कि चुनाव में गोपनीयता भंग की जा रही है। मोबाइल लेकर चुनाव कराये जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में पेन और मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध की मांग की है।

साथ ही चुनाव की अधिसूचना कलेक्टर को जारी करनी चाहिए, लेकिन कमिश्नर जारी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संशोधित कार्यक्रम जारी करने के लिए नियम का पालन नहीं किया गया। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को दूषित कर लोकतंत्र की हत्या करने का काम सरकार द्वारा करने की बात करते हुए कहा कि कल भी चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, मोबाइल और पेन पर रोक लगाए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कोसीर व लैलूंगा राइनो को जहर सेवन पर मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट

न्याय साक्षी/रायगढ़। लैलूंगा राइनो दिनांक 05.01.2020 को दोपहर 14:00 बजे ग्राम झारआमा में रहने वाले जयकुमार मिंज पिता अघनसाय मिंज उम्र 19 साल द्वारा जहर सेवन करने पर मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट लैलूंगा राइनो को मिला तथा कोसीर राइनो को ग्राम उच्चभिट्ठी में रहने वाले फिरु राम कोसले पिता जेठू राम कोसले उम्र 40 वर्ष द्वारा कीटनाशक का सेवन करने पर दोपहर 16:20 बजे मेडिकल इमरजेंसी के इवेंट पर रवाना किया गया था । पीड़ितों को राइनो ईआरवी द्वारा नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए पहुंचाया गया है ।

आई.एफ.एस. एसोसिएशन के अध्यक्ष बने सुधीर अग्रवाल

रायपुर। भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधीर अग्रवाल को आई.एफ.एस. एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नए साल की पूर्व संध्या 31 दिसम्बर 2019 को आयोजित वार्षिक सामान्य सभा की बैठक अरण्य भवन में सम्पन्न हुई।

जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ल के साथ क्षेत्रीय अधिकारी तथा मुख्यालय के आई.एफ.एस. अधिकारी उपस्थित थे। उक्त बैठक में नई टीम का चयन किया गया। इसमें अरण्य भवन में प्रशासन व समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (ए.पी.सी.सी.एफ.) श्री अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया।

इसी तरह कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री वी. श्रीनिवास राव को उपाध्यक्ष, मुख्य वन संरक्षक एस. जगदीशन को सचिव, श्री पंकज राजपूत को संयुक्त सचिव और रायपुर ए.डी.एफ.ओ. मर्सी बेला को कोषाध्यक्ष बनाया गया है।

घरघोड़ा व सारंगढ़ पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। घरघोड़ा पुलिस द्वारा दिनांक 04.01.2020 को ग्राम टेंडा नवापारा में रहने वाले बंसी राम राठिया अपने घर के पास अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करता है कि सूचना पर पुलिस पार्टी टेंडा नवापारा पहुंची जहां बंसी राठिया पिता दयाराम राठिया उम्र 35 साल सा. नवापारा टेंडा अपने घर के बाहर शराब बिक्री करने के लिए 10 लीटर जरकिन में शराब रखा हुआ था जिसके पास से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) 59 क के तहत कार्यवाही थाना घरघोड़ा पुलिस द्वारा की गई है। वहीं दूसरी ओर सारंगढ़ पुलिस द्वारा दिनांक 04.01.2020 के दोपहर ग्राम बड़े खरवानी में मुखबीर सूचना पर शराब की कार्यवाही के लिए पहुंचे । इस

दौरान ग्राम खरवानी के रामलाल गोंड़ पिता स्वर्गीय देवी सिंह गोंड़ उम्र 58 वर्ष दो झोले में अवैध शराब लेकर पैदल अपने घर जा रहा था जिसे पकड़े, जिसके पास से 20 पाव देसी एवं 20 पाव मसाला कुल 40 पाव शराब जप्त किया गया है। आरोपी शराब अवैध रूप से बिक्री करने लेकर आना बताया। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34259 क के तहत कार्यवाही थाना सारंगढ़ में की गई है।

शादी का प्रलोभन देकर युवती से दुष्कर्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना तमनार में 23 वर्षीय युवती द्वारा सुजीत राणा पिता प्रहलाद राणा उम्र 23 वर्ष दिनांक 05.01.2020 को ग्राम तमनार बाजार पारा के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज कराई है । पीड़िता ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व तमनार के स्थानीय कपड़े दुकान में काम करती थी इसी दौरान सुजीत राणा से परिचय हुआ, सुजीत राणा प्रेम संबंध बनाकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया तथा अब शादी से इंकार कर रहा है युवती के आवेदन पत्र पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 042020 धारा 376 आईपीसी , 325 आईपीसी एस सी एस टी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480